

**संख्या- 1253/अइतीस-7-2015-200नरेगा/2009**

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,

उप सचिव,

उ०प्र०, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,

उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

सबजुद दिनांक 26 जून, 2015

विषय महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर जनपद/ब्लाक स्तर पर नियुक्त सोशल आडिट कोऑर्डिनेटरों की सेवा अवधि में विस्तार।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2245/अइतीस-7-2012-200नरेगा/2009 दिनांक: 04-10-2012 एवं शासनादेश संख्या-1390/अइतीस-7-2012-200नरेगा/2009 दिनांक: 04-07-2012, शासनादेश संख्या-4050/अइतीस-7-2012-324नरेगा/2012टीसी दिनांक: 16-12-2013, शासनादेश संख्या-756/अइतीस-7-2012-324नरेगा/2012टीसी दिनांक: 25-03-2014, शासनादेश संख्या-1413/अइतीस-7-2014-324नरेगा /2012टीसी दिनांक: 31-07-2014 तथा शासनादेश संख्या-115/अइतीस-7-2015-324नरेगा /2012टीसी दिनांक 03-02-2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला सोशल आडिट कोऑर्डिनेटरों/ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटरों जिनकी सेवाएं दिनांक: 31-03-2015 तक विस्तारित की गयी थी, की सेवाएं आगे दिनांक: 31-03-2016 तक अथवा अन्तर्गत आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तारित की जाती हैं। यह सेवा विस्तार भा० उच्च न्यायालय में दायित्व विभिन्न रिट याचिकाओं में प्रारित निर्णय के अधीन होगा।

2- इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक: 03-02-2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

( उमा कान्त पाठक )

उप सचिव।

**संख्या: 1253 (1)/अइतीस-7-2015 तददिनांक:-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से

( उमा कान्त पाठक )

उप सचिव।